



अंकार फाउंडेशन ट्रस्ट

वर्ष - 06 अंक - 72

सहयोग शुल्क : रु.1 / दिसंबर 2022

दिव्यांग सेतु

संपादक : मंत्रयुगपरिवर्तक अंकार महामंडलेश्वर १००८ प.पू.संतश्री सद्गुरु अंकरुषि स्वामी



“अंग प्रत्यारोपण दिव्यांगो का जीवनदाता बन सकता है।”
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी)

“अंग प्रत्यारोपण हर जरूरतमंद के लिए एक नया जीवन है।”
(मंत्रयुगपरिवर्तक अंकार महामंडलेश्वर १००८ प.पू.संतश्री सद्गुरु अंकरुषि स्वामी)



निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेब्रलपल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटी से असरग्रस्त दिव्यांगों को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रू.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगों के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रू. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदनपत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र/दस्तावेज

सिविल सर्जन का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाणपत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाणपत्र में जरूरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)



संपादकीय

कुदरती रूप से या मानवीय अकस्मात के कारण दिव्यांग लोगों के जीवन में अनेक समस्याएँ होती हैं लेकिन फिर भी सकारात्मक सोच के कारण वे कभी हिंमत नहीं हारते और साधारण जीवन जीने का प्रयास करते हैं ।

दिव्यांगों के जीवन में व्याप्त अधुरेपन और तकलीफों को दूर करने के लिए अंग प्रत्यारोपण की मेडिकल सुविधाने हर दिव्यांग के जीवन में उत्साह का संचार किया हुआ है। अंग प्रत्यारोपण के कारण कई दिव्यांग लोगों को केवल अंग ही नहीं मिलता लेकिन एक नया जीवन भी मिलता है । अंग प्रत्यारोपण की सुविधा का लाभ लेने के साथ साथ कुछ असामाजिक लोगों ने उसे व्यापार बना दिया था जिससे कई समस्याएं पैदा हुईं। इन समस्याओं को रोकने के लिए सरकार ने अंग प्रत्यारोपण का कानून बनाया है लेकिन इस कानून को हर राज्य के अधिकारियों ने अपने मनघडंत अर्थघटन के कारण बहुत जटिल बना दिया है ।

अंग प्रत्यारोपण कानून के पीछे सरकार की मंछा अच्छी थी लेकिन कानून के गलत अर्थघटन के कारण जरूरतमंद दर्दी और दिव्यांगों को इसका नुकसान उठाना पड रहा है । सरकार देश के सभी राज्यों में इसे समान रूप से लागु करेगी तो जरूरतमंद लोगों को पैदा हो रही समस्याओं से छूटकारा मिलेगा साथ ही उन्हें नया जीवन मिलेगा ।

हर दिव्यांग के जीवन में रोशनी पैदा करनेवाले कई प्रेरणास्रोत होते हैं जो उनके जीवन को नयी राह दिखाते हैं । संसार के ऐसे सभी प्रेरक लोगों को हम प्रणाम करते हैं ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

दिसंबर - 2022, पृष्ठ संख्या - 16

वर्ष - 6 अंक - 72

✦ प्रेरणास्रोत और संपादक ✦

मंत्रयुगपरिवर्तक ॐकार महामंडलेश्वर १००८
प.पू.संतश्री सद्गुरु ॐऋषि स्वामी

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००७

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200



किडनी के अंगदान और प्रत्यारोपण में नयी कानूनी जटिलता

हमारी हिन्दु कथाओं के अनुसार सबसे पहला अंग प्रत्यारोपण भगवान गणेश का किया गया था, हिन्दु धर्म में और अन्य धर्मों में भी अंगदान को महादान माना गया है ।

हिन्दु कथाओं के अनुसार सबसे पहला अंग प्रत्यारोपण भगवान गणेश का किया गया था, हिन्दु धर्म में और अन्य धर्मों में भी अंगदान को महादान माना गया है ।

अंगदान और प्रत्यारोपण में पिछले 40-50 सालों में विज्ञानने बड़ी प्रगति की है। इस प्रगति के कारण आंख, कीडनी, हृदय, फेफड़े और लीवर जैसे कई अंगों का दान हो सकता है और एक इंसान आठ लोगों को नई जिंदगी दे सकता है ।

भारत सरकार ने 1994 में अंगदान और ट्रांसप्लान्ट के लिए नया कानून बनाया है । जिसके कारण गैरकानूनी तरीके से अंग बेचने और ओपरेशन करने का जो धंधा चलता था उस पर अंकुश और नियंत्रण लगे और अंगदान और ट्रांसप्लान्ट से लाखों लोगों को नया जीवन मिल सके ।

2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने मन की बात में अंगदान और किडनी ट्रांसप्लान्ट की बात की थी । और उसके बाद भारत के विभिन्न राज्यों में ओर्गन ट्रांसप्लान्ट और ओर्गन डोनेशन के नियम 2014 में बनाये गये उसके बारे में केन्द्र सरकार के साथ एम.ओ.यु कर इस कानून को सभी राज्यों में अपने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मुख्य सरकारी अस्पतालों में लागू किया गया है ।

इस कानून के तहत केन्द्र सरकार एक राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल और व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है जिसमें अलग-अलग अंगों की एक रजिस्ट्री बने, जिस में अंगदान की राह देख रहे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं । इस रजिस्ट्रेशन के कारण जब भी उनकी आवश्यकता के अनुसार कोई अंग उपलब्ध हो तो उन्हें अंगदान देकर ट्रांसप्लान्ट ओपरेशन से उसे नया जीवन मिल सके। भारत में 28 राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश ने अपने यहां यह कानून 1995 से ही लागू किया था और पिछले 5-6 वर्षों में भारत के लगभग सभी राज्यों में अंगदान कानून लागू किया जा चुका है । जैसे- जैसे हॉस्पिटल और डॉक्टर अंगदान और प्रत्यारोपण के ओपरेशन करने लगे हैं इस कानून का अर्थघटन काफी जटिल होता जा रहा है । अंगदान का जो कानून बड़े अच्छे आशय से बनाया गया था लेकिन नये कानून के साथ पुराने कानून का अर्थ टन कर के ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि अंगदान के लिए भारत के 28 राज्य मानों 28 देश बन गये हैं । सब अपनी सहूलियत के हिसाब से इस कानून का अर्थघटन कर इसे जटिल और पेचीदा बनाते जा रहे हैं ।





वर्तमान समय में भारत देश में लाखों लोग किडनी की समस्या से पीड़ित हैं सप्ताह में दो या तीन बार उन्हें डायालिसिस करवाना पड़ता है। सालों पहले इस डायालिसिस की कीमत बहुत ही ज्यादा थी लेकिन अब यह डायालिसिस 2000 से लेकर 4000 रुपए में हो जाता है। मध्यम और गरीब परिवार के लोगों के लिए इतनी राशि भी बहुत बड़ी होती है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहाय के लिए देश में अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ऐसे किडनी फेल इनसान दो तरह से किडनी ट्रांसप्लान्ट करा के और डायालिसिस के बिना अपनी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं।

(1) इनसान खून के संबंधों से जुड़े व्यक्ति जैसे कि माता-पिता, भाई-बहन किडनी दान में देकर नया जीवन दे सकते हैं। इसे लाइव ओर्गन डोनेशन कहा जाता है। ऐसे दर्दों का ऑपरेशन करने से पहले नये कानून के अंतर्गत अनेक कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं और उसमें कानून का गलत अर्थघटन कर जरूरी और अनावश्यक दस्तावेज और एफिडेवीट भी मांगे जाते हैं।

इन दस्तावेजों की जांच करने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल द्वारा नियुक्त एथिक्स कमिटी की रहती है। जिसमें हर राज्य में ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं जो अलग-अलग हॉस्पिटलों में कानून का अलग-अलग अर्थघटन करते हैं और अनावश्यक दस्तावेज की मांग करते हैं। हर जरूरतमंद दर्दों और केस को ऐसे देखा जाता है मानों उन्होंने जाली दस्तावेज बनाये हो। राज्य सरकार के ही डिपार्टमेन्ट द्वारा दिए गए जन्म-मरण के सर्टिफिकेट को मान्य नहीं रखा जाता और व्यक्ति को उसके कुटुंब का फेमिली ट्री मेजिस्ट्रेट के पास बनवाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। कई केस में तो व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने के लिए गया हो तो उसके लिए फेमिली ट्री प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

दूसरे दस्तावेज राशनकार्ड मांगा जाता है। हमारे देश में गरीबी रेखा में जी रहे लोगों को राशन के लिए यह कार्ड दिया जाता है अगर किसी के पास राशनकार्ड ना हो तो वह क्या करेगा इसका तंत्र के पास कोई जवाब नहीं है।



इस कानून के अर्थघटन में सब से बड़ी मूर्खता तंत्र द्वारा तब होती है जब भारत में रहनेवाले इनसान को अपने ही भाई बहन जो कमाने के लिए विदेश गये हो और उनके पास विदेश की नागरिकता है वह किडनी या अन्य किसी अंग का दान करना चाहते हैं तो उन्हें वहां की सरकार से से ऐसा सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा जाता है कि आप जिसे अपना अंगदान करना चाहते हैं वह और आप दोनों सगे भाई-बहन है और खून के रिश्ते से जुड़े हैं तो अंगदान के लिए आप को कोई आपत्ति नहीं है । हकीकत में तो यह कानून विदेश में जन्मे दो लोगों के लिए बनाया गया है जो भारत में अपना ट्रान्सप्लान्ट ऑपरेशन करवाना चाहते हैं । लेकिन कानून के गलत अर्थघटन के कारण भारत में जन्मे लेकिन विदेशी नागरिकता वाले लोगों पर भी इसे लागू किया गया है ।

जिस केस में शंका हो उस में अतिरिक्त सबूत मांगे जाए यह ठीक बात है लेकिन हर केस में ऐसे अनावश्यक दस्तावेज मांगकर दर्दी और उनके रिश्तेदारों की परेशानी बढ़ाना गलत बात है ।

Organ Donation

Its importance and process



(2) जिस व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों से ओर्गन डोनेशन न मिले उन्हें राज्य सरकार द्वारा बनाई रजिस्ट्री में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए । यह राष्ट्रीय रजिस्ट्री व्यवस्था है । इसमें विशेष रूप से किडनी ट्रान्सप्लान्ट के लिए रजिस्ट्री रखी गई है इसमें हर राज्य में डोमीसाइल, रेसीडेन्सी सर्टिफिकेट दर्दी से मांगा जाता है । भारत के 28 राज्यों में इस डोमीसाइल कानून की व्यवस्था अलग अलग है । इसके अंतर्गत तीन साल से लेकर 20 साल तक वह व्यक्ति उस राज्य में निवास करता हो यह अनिवार्य माना गया है ।

1940 में अंग्रेजों द्वारा भारत की आजादी के बाद भारत में रहनेवाले लोगों की भारतीय नागरिकता निश्चित करने के लिए नये संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को राज्य सरकार के विभिन्न लाभों की सुविधा देने के लिए डोमीसाइल-रेसीडेन्सी कानून बनाया गया था ।

जो व्यक्ति किडनी के लिए रजिस्ट्री में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसके लिए 75 साल पुराना डोमीसाइल कानून अब भारत के हर राज्य में व्यक्ति का डोमीसाइल निश्चित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है ।

भारत में एक अंदाज कि अनुसार 30 प्रतिशत लोग अपने जन्म के राज्य से अलग राज्य में रहते हैं । ऐसे लोग या उनके साथ रहनेवाले परिवार के अन्य सदस्य को अगर किडनी ट्रान्सप्लान्ट की आवश्यकता हुई तो उन्हें केडावर रजिस्ट्री में अगर नाम रजिस्टर करवाना हो तो राज्य के कानून के अनुसार दर्शाना होगा कि वह व्यक्ति उसी राज्य का निवासी है उसके बाद ही उसका नाम केडावर रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो सकता है । ऐसे कानूनों का राज्य सरकार और अधिकारियों द्वारा गलत अर्थघटन के कारण किडनी की जरूरत वाले राह राह देख रहे दर्दी अगर डोमिसाइल की व्यवस्था न कर पाए तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है ।



जैसे कि गुजरात में बाहर से आये हुए और 2015 से गुजरात की किसी कंपनी में काम करनेवाले व्यक्ति का कीडनी केडवार रजिस्ट्री में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नाम दर्ज किया गया है। क्योंकि यह व्यक्ति गुजरात राज्य में दस साल से नहीं रहता है इसलिए गुजरात सरकार ने उसे डोमीसाइल सर्टी देने से इनकार किया था।

अन्य एक केस में गुजरात में 12 साल से रहनेवाले भारत में ही जन्मे व्यक्ति को गुजरात सरकार ने डोमीसाइल देने से मना किया था क्योंकि उसका नागरिकत्व केनेडा का था। अगर अंग प्रत्यारोपण कानून का अर्थघटन इसी तरह से किया जाएगा तो भारत के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी एम.पी, आइ.ए.एस ओफिसर, सुप्रीम कोर्ट के जजिस, लश्कर में काम करनेवाल सैनिक, भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अन्य राज्यों में काम करनेवाले अधिकारी, लघुतम वेतन के साथ रोजगारी के लिए अन्य राज्यों में काम करनेवाले माइग्रन्ट वर्कर, विदेश में काम करनेवाले भारतीय नागरिक कि जिनको डोमिसाइल के प्रावधान के अनुसार अपने या अन्य राज्य में डोमीसाइल नहीं मिल सकता। ऐसे व्यक्ति या उनके साथ रहनेवाले परिवार के अन्य किसी सदस्य को किडनी की आवश्यकता हुई और केडवार रजिस्टर में नाम लिखाने के लिए अनिवार्य माने गये डोमीसाइल सर्टी की आवश्यकता हुई तो तो कैसे मिलेगा ? यह एक बहुत बड़ी कानूनी समस्या है जिसके समाधान के लिए कोई मार्गदर्शिका या नये ओर्गम डोनेशन के लिए समग्र देश में जल्द से जल्द एक सा कानून बनाने की अनिवार्यता है।

अंग प्रत्यारोपण कानून का हमारे देश में इतना गलत अर्थघटन किया गया है कि किडनी की आवश्यकता वाले दर्दी और उनके परिजनों को दर्दी की व्यवस्था के साथ साथ कानूनी उलझनों और पीड़ा से भी गुजरना पडता है। अगर सही अर्थघटन किया होता तो इतनी समस्याएं नहीं आती।

भारत देश में लाखों लोग हमारी भारत सरकार द्वारा दिए गये जन्म प्रमाण पत्र, मरेज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज के आधार पर विदेश में काम करने, पढ़ाई करने और हमेशा के लिए स्थायी होने के वीजा के लिए इन आधारों का उपयोग करते हैं और विदेश द्वारा इन्हें मान्यता भी दी गई है लेकिन हमारी राज्य सरकारों के एक ही डिपार्टमेंट के सरकारी अधिकारी को अन्य सरकारी विभाग द्वारा दिए गये दस्तावेजों पर विश्वास नहीं है।

(लेखक: प्रशांत अजमेरा (एडवोकेट))

संपर्क मोबाइल: 9898698184





बिना हाथ पैरों के इस शख्स ने हर असंभव चीज को बनाया संभव

जरा सोचिये, अगर आपका एक हाथ नहीं होता तो क्या होता? और अगर दोनों हाथ नहीं होते तब क्या होता? और अगर एक हाथ और एक पैर नहीं होता तो तब क्या होता? और अगर आपके दोनों हाथ और दोनों पैर भी नहीं होते तो तब आपकी जिन्दगी कैसी होती? ऐसा सोचना ही अपने आप में बहुत भयानक लगता है।

खैर भगवान करे कि ऐसा किसी के भी साथ ना हों और सभी पूरी तरह से सेहतमंद और खुशहाल रहें।

लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसके जन्म से ही दोनों हाथ और पैर नहीं हैं। यानि कि ये शख्स जन्म से ही बिना हाथ और बिना पैर के है। अब आप अन्दाजा लगाईये कि बिना हाथ और बिना पैरों के जीने में कितनी तकलीफ, कितनी मुश्किल, कितनी बेबसी और ना जाने कदम कदम पर कितनी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा।

लेकिन इस शख्स ने तमाम मुश्किलों, तमाम समस्याओं, बेबसियों को धता बताते हुए पहले खुद अपनी जिन्दगी की इस जंग को जीता, फिर आपने जीने के तरीके में बदलाव किया और आज सारी दुनिया के सोचने और जीने के तरीके को बदल रहा है। और सारी दुनिया के लिए एक प्रेरणास्रोत बन गया है।




इस शख्स का नाम है निक वुजिसिक (Nick Vujicic)। आज निक 34 साल के हैं और मेलबर्न, आस्ट्रेलिया में रहते हैं। निक की कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है जो अपनी जिन्दगी में किसी कमी को लेकर, अपने शरीर की किसी कमी को लेकर, अपनी विकलांगता को लेकर या जिंदगी की मुश्किलों या समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं या अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं, या खुद को असहाय महसूस करते हैं या अपनी जिंदगी, खुद को या भगवान को कोसते रहते हैं



निक का प्रारम्भिक जीवन

निक वुजिसिक का जन्म 4 दिसम्बर 1982 को मेलबर्न, आस्ट्रेलिया में हुआ था। इनके पिता का नाम Boris Vujicic तथा माता का नाम Dushka Vujicic है। इनकी माँ बच्चों के अस्पताल में नर्स थी। तथा पिता एक Accountant थे। निक का जन्म फोकोमेलिया (Phocomelia) नामक दुर्लभ बीमारी के साथ हुआ था। जिससे उनके जन्म से ही दोनों हाथ और पैर नहीं थे। पैर की जगह उनके कूल्हे पर सिर्फ एक छोटा सा पंजा है।



निक के माता पिता ने जब बिना हाथ बिना पैर वाला बच्चा देखा तो वो बुरी तरह हताश हो गये। यहाँ तक कि उनकी माँ ने उन्हें 4 महीने तक गोद में नहीं लिया। धीरे धीरे उनके माता पिता को समझ आया कि ये बच्चा उनके लिये भगवान की देन है और उन्हें ये खुशी से स्वीकार करना चाहिये। उसके बाद वे निक को प्यार करने लगे।




निक का बचपन

निक के लिये उनका बचपन बड़ा ही मुश्किलों भरा था। रोजाना के जरूरी काम, खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई आदि उनके लिये बहुत मुश्किल भरे काम होते थे। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। उनकी हंसी उड़ाते थे। जिससे वह एक दिन डिप्रेशन में आ गये और 10 साल की उम्र में उन्होंने बाथटब में डूबकर मरने की कोशिश की लेकिन किस्मत से बच गये।

LIFE
WITHOUT LIMBS

A MOTIVATIONAL STORY
OF NICK VUJICIC



माता पिता ने बनाया फाइटर

अपने माता पिता की बदौलत ही वह फाइटर बन सके। निक के पिता 18 महीने की उम्र से ही उन्हें पानी में छोड़ देते थे ताकि वह तैरना सीख सकें। 6 साल की उम्र से ही उनके पिता उन्हें पंजे की मदद से टाइप करना सिखाने लगे। उनकी माँ ने प्लास्टिक का एक स्पेशल डिवाइस बनाया जिसकी मदद से उन्होंने पेन और पेन्सिल पकड़ना सीखा और लिखना सीखा।



निक के साथ बहुत सी दिक्कतें होने के बावजूद उनके माता पिता ने तय किया कि उन्हें स्पेशल स्कूल नहीं भेजेंगे। इनके माता पिता ने इन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने का फैसला किया जो काफी मुश्किल भरा था। लेकिन इसी फैसले की वजह से निक ने आम बच्चों की तरह काम करना सीखा। अपने छोटे से पंजे की मदद से ही उन्होंने फुटबॉल और गोल्फ खेलना सीखा, तैरना सीखा। बच गये।

अपने इसी पंजे की मदद से वह अपने शरीर का बैलेंस बनाते हैं, किक मारते हैं, लिखते हैं और कंप्यूटर पर एक मिनट में 43 शब्द की स्पीड से टाइप भी करते हैं। इसी पंजे की मदद से वह ड्रम बजा लेते हैं, fishing कर लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं, skydiving कर लेते हैं और यहाँ तक कि वे कार भी चला लेते हैं और गियर बदलने के लिए वे अपने मुँह का इस्तेमाल करते हैं।

एक लेख ने बदली सोच

विकलांगता, अकेलेपन और मुश्किलों से लड़ते हुए एक दिन उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। तब वह 13 साल के थे। तब अपनी माँ के लिखे एक लेख को पढ़कर उनके जीने का नजरिया बदल गया। यह लेख एक अखबार में प्रकाशित हुआ था जिस में एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर जीत की कहानी थी। उस दिन उन्हें समझ में आ गया कि विकलांगता से संघर्ष करने वाले वह अकेले व्यक्ति नहीं हैं।

“वे बताते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि भगवान ने मुझे दूसरों को उम्मीदें देने के लिए ऐसा बनाया है। इस सोच से मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाने और उनकी जिन्दगी में रोशनी भरने को अपनी जिन्दगी का मकसद बना लिया। इसके बाद मैंने तय किया कि जो मेरे पास नहीं हैं, उसका अफसोस करने के बजाय मेरे पास जो कुछ है, मैं उसके लिए हमेशा भगवान का शुक्रगुजार रहूँगा।”





प्रोफेशनल जीवन

इसके बाद निक ने Positive Attitude पर काम करना शुरू किया और लोगों के साथ अपनी कहानी share करनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने school organisations में जाकर public lesson लेना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में उन्होंने prayer groups में जाकर लेक्चर देना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र से वे एक full time Motivational Speaker बन गये।

21 साल की उम्र में उन्होंने Accounting & Finance में Graduation कर लिया। निक ने 2005 में "Life without Limbs" नाम से एक अन्तर राष्ट्रीय NGO बनाया तथा 2007 में 'Attitude is Attitude' नाम से एक Motivational speaking कम्पनी बनाई। 2010 में उन्होंने "The Butterfly circus" के नाम से एक short film बनाई जिसके लिये उन्हें Best Actor का Award मिला। Nick अब तक 44 देशों में 40000 से ज्यादा Motivational Speech दे चुके हैं। उनके speech सुनने के लिये seminar hall खचाखच भर जाता है।





निक का परिवार

हाथ पैर ना होने के बावजूद निक शादीशुदा जिन्दगी के लिये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने 2012 में कायने मियाहारा से शादी की। उनके कियोशी जेम्स तथा डेजन लेवी नाम के दो बच्चें हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। निक और उनकी पत्नी अपनी शादीशुदा जिन्दगी से पूरी तरह संतुष्ट और खुश हैं और एक खुशहाल जिन्दगी जी रहे हैं।

family



विकलांगता अभिशाप नहीं है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है कोई ना कोई कमी सभी के अन्दर होती है। इसी तरह कोई ना कोई काबिलियत हर किसी के अन्दर होती है। आपको बस उस काबिलियत को पहचानना है। ईश्वर अगर किसी के अन्दर कोई कमी देता है तो उसे एक ऐसा खास गुण भी देता है जो सबसे अलग होता है। बस जो व्यक्ति अपनी खूबियों को पहचानकर, अपने खास गुण को पहचानकर अपनी कमियों को पछाड़ देता है वही इनसान दुनिया में कुछ अलग करता है, बुलंदियों को छूता है और इतिहास लिखता है।



तो दोस्तों, जो लोग अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों से, मुश्किलों से, समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं उनके लिए निक की जिंदगी एक जीती जागती प्रेरणा है, एक मिसाल है। अगर एक बिना हाथ पैरों वाला शख्स अपनी जिंदगी के रोजाना के काम कर सकता है, बुलंदियों को छू सकता है, एक इतिहास लिख सकता है तो इस दुनिया में ये सब कोई भी कर सकता है। अगर एक बिना हाथ पैरों वाले शख्स के लिए दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं है तो फिर किसी के लिए भी असंभव नहीं है।

(सौजन्य-ज्ञान वर्षा)





अंधार फाउण्डेशन ट्रस्ट
(N.G.O.)

संचालित

अंधार दिव्यांग ट्रेनिंग डे-केर सेन्टर

**मानसिक दिव्यांग बच्चों के
लिए निःशुल्क तालीमी संस्था**

शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे

सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिड़नेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,

अहमदाबाद-380 016

मो. : 99749 55125, 99749 55365

